राजकीय प्रयोजनार्थ

# न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

( परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या 24 / 2013

प्रविष्टि दिनांक 30.01.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

हरजी,हीरा, महरामा पिसरान श्योजी व गंगा बेवा श्योजी, हीरा, काली, समोदरा, सन्तरा पुत्रियां श्योजी जाति गुर्जर निवासी पीनणी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित—

1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड0
2. श्री बसन्तीलाल चोधरी अभिभाषक अप्रार्थीगण ।

**अभिशंषा** दिनांक 27—9—2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 435/1 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नला वाके ग्राम पीन्दनी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 06.11.1977 के द्वारा श्री श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी लक्ष्मीपुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 274 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण सं. 383 दिनांक 30.06.1986 से प्रदान किये गये हैं। श्री श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी लक्ष्मीपुरा ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 435/1/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को श्री हरजी हीरा महरामा पि. श्योजी, गंगा बेवा श्योजी, हीरा काली समोदरा सन्तरा पुत्रियां श्योजी गुर्जर निवासी पीनणी लक्ष्मीपुरा के नाम जरिये नामा. सं. 419 विरासत से स्थानान्तरण कर दी गई। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 274, 383, व 419 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्ररतुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 08.04.2021 को श्री बसंती लाल चौधरी एडवोकेट ने

सत्य प्रतिलिपि

आज्ञा से

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर टोंक (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

राजकीय प्रयोजनार्थ

वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही किया गया। अतः प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया खसरा नम्बर 435/1 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नला वाके ग्राम पीन्दनी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 06.11.1977 के द्वारा श्री श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी लक्ष्मीपुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 274 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 383 दिनांक 30.06.1986 से हुई। श्री श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी लक्ष्मीपुरा ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 435/1/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को श्री हरजी हीरा महरामा पि. श्योजी, गंगा बेवा श्योजी, हीरा काली समोदरा सन्तरा पुत्रियां श्योजी गुर्जर निवासी पीनणी लक्ष्मीपुरा के नाम जरिये नामा. सं. 419 विरासत से स्थानान्तरण कर दी गई। जबकि उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 06.11.1977 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 274 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 383 दिनांक 30.06.1983 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2065–68, नकल नामान्तकरण सं. 274,383 व 419 व खतौनी बन्दोबस्त 2010 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 435/1 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 06.11.1977 को खसरा नम्बर 435/1 में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि श्री श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी के नाम आवण्टन किया गया। आवण्टन आदेश की अनुपालना में श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी को नामा0 सं0 274 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामा0 संख्या 383 दि0 30.06.1986 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 435/1 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। श्री श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 06.11.1977 को भूमि श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

राजकीय प्रयोजनार्थ

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी तहसील मालपुरा जिला–टोंक को दिनांक 06.11.1977 को खसरा नम्बर 435/1 रकबा 1बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन तथा आवण्टन आदेश की पालना मे श्री श्योजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी पीनणी के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 274 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 383 दिनांक 30.06.1986 तथा विरासत का नामा0 सं0 419 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 435/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पीन्दणी तहसील मालपुरा जिला–टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय ... कलेक्टर
टोंक (राज0)